

ऑपरेशन कालनेमि

चर्चा में क्यों?

उत्तराखण्ड की "ऑपरेशन कालनेमि" पहल, जिसका उद्देश्य जनता को ठगने वाले **फर्जी साधुओं** पर कार्रवाई करना है, को राज्य सरकार के नए निर्देशों से और सशक्त किया गया है।

- अब धार्मिक व्यक्तिका वेश धारण करने वालों को पर केवल हरिस्त ही नहीं, बल्कि **आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तारी** की जाएगी।

मुख्य बिंदु

- **सख्त कानूनी कार्रवाई:**
 - नए दिशानिर्देशों के तहत पुलिस को यह आदेश दिया गया है कि फर्जी साधुओं पर विभिन्न प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत मुकदमे दर्ज किये जाएँ। जैसे, डरग्स एंड मैजिक रेमेडीज (**आपततजिनक वजिजापन अधिनियम, 1954**, **भारतीय न्याय संहिता, 2023**, (फर्जी पहचान पत्रों के लिये), **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** (साइबर धोखाधड़ी और फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिये) तथा **वदिशी नागरिक अधिनियम, 1946**, (फर्जी दस्तावेजों पर रह रहे वदिशी नागरिकों के लिये)।
- **जागरूकता अभियान:**
 - नागरिकों को नकली साधुओं के खतरों और उनसे जुड़े अपराधों से बचाने हेतु सरकार ने सोशल मीडिया सहित व्यापक **जन-जागरूकता अभियान** शुरू किया है।
- **पृष्ठभूमि:**
 - उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री ने **कांवड़ यात्रा** से पहले ही **ऑपरेशन कालनेमि** की शुरुआत की थी, ताकि धार्मिक पहचान का दुरुपयोग करने वाले फर्जी साधुओं पर अंकुश लगाया जा सके।
 - हिंदू पौराणिक कथाओं के **राक्षस कालनेमि** से प्रेरित यह अभियान **सनातन धर्म** की रक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिये चलाया जा रहा है।